न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 13/2025

तारीख रजू:–02.07.2025

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2025/177

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. सुशील कुमार पुत्र हरिशंकर स्वर्णकार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामनिवास गुर्जर, निवासी ढाणी मानपुरा, बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र फूलचंद बैरवा, निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. लेण्ड होल्डर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी :–श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1:– श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2 :– श्री अब्दुल वहाब एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 3:– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांक:– 30.03.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

- प्रार्थी ग्राम चौथ का बरवाड़ा का निवासी है, तथा पेशा काश्तकार है।

- प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 642 में खसरा नंबर 4018/4900 रकबा 1.00 है0 किस्म बारानी ग्राम चौथ का बरवाड़ा में स्थित है, जिस पर वह काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है।

- ग्राम चौथ का बरवाडा की राजस्व [illegible] खाता सख्या 675 में खसरा नम्बर 4017 रकबा 0.2000 [illegible] खसरा नम्बर 4018 रकबा 0.4000 हैक्टयर खसरा नम्बर 4019 रकबा 0.4500 हेक्टयर किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 4104/4903 0:25 हेक्ट० किस्म बारानी 3 कुल खसरे 4 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

रकबा 1.3000 हैक्ट० स्थित है जिसमे प्रार्थी 1/2 हिस्से अर्थात 0.6500 हैक्ट० का खातेदार काश्तकार है बाकी 1/2 हिस्से में अन्य 14 सह खातेदार है उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि खसरा नम्बर 3997 रकबा 0.2600 हेक्ट० से सटी हुई है जिमे प्रार्थी का 3/4 हिस्सा खातेदार का है 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का है।

- खसरा नम्बर 4018/4902 रकबा 0.1900 हैक्ट० किस्म बारानी 1 ग्गाम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में स्थित है जिसका सम्पूर्ण हिस्से का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

- खसरा नम्बर 3997 प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे है। परन्तु बीच मे खसरा नम्बर 4018/4902 आता है जिसको प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 फैराबदली (Exchange) करना चाहते है ताकि प्रार्थी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 4018/4900 सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 4017, 4018, 4019, व 4104/4903का 1/2 हिस्सा जो खसरा नम्बर 4018/4900 से लगताही हुआ एक हो जावे, खसरा नम्बर 3997 का रकबा 0.2600 हेक्टयर है जिसमे खसरा नम्बर 4018/4902 का रकबा 0.1900 हैक्ट० अप्रार्थी संख्या 2 का 0.07 हैक्ट० की पूर्ति हो जाती है एव खसरा नम्बर 4018/4902 से प्रार्थी की 0.1900 हैक्ट० की पूर्ति हो जाति है इस प्रकार के (Exchange) से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भी कोई आपत्ती नही है ओर स्दक भ्वसकमत साहब को भी आपत्ती नही होनी चाहिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का एक चक बनाने के लिए कर रहा है।

- भूमि Exchange के लिए Land Holder की सहमति आवश्यक है लिहाजा उन्हे अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया है।

- अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नम्बर 4018/4902 रकबा 0.1900 हैक्ट० प्रार्थी का खातेदारी मे रामेश्वर गुर्जर अप्रार्थी संख्या 1 के बजाय दर्ज कर भूमि Exchange की जावे तथा खसरा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थी जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कि है कि–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

➢ प्रार्थना पत्र का मद संख्या 05 मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 4018/4902 रकबा 0.19है० पर निर्वाध रुप से काबिज होकर काश्त कर रहा है। एवं एक मात्र खातेदार है। एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वयं के खातेदारी के खेत के चारो और सुरक्षा हेतु पील्लर लगाकर तारबन्दी व जाली लगा रखी है। एवं खेत में मुख्य डामरीकृत सड़क से प्रवेश हेतु गेट लगा रखा है। एवं वर्तमान में बाजरे की फसल की बुवाई कर रखी है। प्रार्थी का खसरा नम्बर 3997 पर कोई कब्जा नहीं है एंव प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 के मध्य खसरा नम्बर 3997 के कब्जे को लेकर आये दिन विवाद होते रहते है। एवं प्रार्थी उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 3997 के बदले अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि को (Exchange) विनियम करने हेतु गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 को कोई सहमति नही है। इस कारण प्रार्थना अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आधारहीन व कपोल कल्पित तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

➢ अप्रार्थी संख्या 03 राज्य सरकार के प्रतिनिधी होने से राज्य सरकार के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पूर्व धारा 80 CPC के तहत 2 माह का कानूनी दिया जाना आवययक है। परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व 2 आराजी खसरा नम्बर 4018/4902 रकबा 0.1980, भूमि वाके ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार हल्का चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 की निर्विवादित रुप से खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक एवं वास्ता नही है। एवं अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं की खातेदारी की भूमि को किसी भी व्यक्ति से (Exchange) करने हेतु सहमत नही है। न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य (Exchange) बाबत सहमति बनी है। इस कारण सहमति के अभाव में प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

⇨ प्रार्थी ने मुझ अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र बिलकुल गलत एवं निराधार तरीके से प्रस्तुत किया है, जो [illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

⇨ भूमि विनिमय के प्रावधानों के अनुसार समान भूमि व समान खातेदार होना चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी स्वर्ण जाति का व्यक्ति है जबकि अप्रार्थी नं. 2 अनुसूचित जाति (बैरवा) का व्यक्ति है तथा खसरा नम्बर 3997 मे अप्रार्थी नं.

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

2 1/4 हिस्से का है एवं प्रार्थी 3/4 हिस्से का खातेदार है इसलिए इस प्रकरण मे धारा 48 RTA के प्रावधान लागू नही होते है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

- ⇨ मिन अप्रार्थी नं. 2 अपनी खातेदारी भूमि का खारिज विनिमय करवाना नही चाहता है तथा वह अपनी खातेदारी भूमि जिस पर वह काबिज है उसी पर काबिज रहना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योगय है।
- ⇨ प्रार्थना पत्र कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2026/557 दिनांक 17.03.2026 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- राजस्व ग्राम चौथ का बरवाडा में मुताबिक जमाबन्दी खसरा नम्बर 4018/4900 रकबा 1.00 है० किस्म बारानी 1 सुशील कुमार पुत्र हरिशंकर जाति स्वर्णकार सा. देह के नाम रिकार्ड दर्ज है।
- खसरा नम्बर 3997 रकबा 0.26 हे० किस्म चाही 3 धमेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द जाति बेरवा हि.1/4. सुशील कुमार पुत्र हरिशंकर हि.3/4 जाति स्वर्णकार सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज है।
- खसरा नम्बर 4018/4902 रकबा 0.19 है0 में से नवीन खसरा नम्बर 5803/4018 रकबा 0.01 है. किस्म गै०मु०रास्ता सिवायचक एवं खसरा नम्बर 5807/5804 रकबा 0.0712 है0 किस्म गै०मु०आबादी (आवासीय ईकाई प्रयोजनार्थ) रामेश्वर पुत्र रामनिवास गुर्जर साढाणी मानपुरा बलरिया के नाम तथा खसरा नम्बर 5808/5804 रकबा 0.1088 किस्म बारानी 1 रामेश्वर पुत्र रामनिवास गुर्जर सा.ढाणी मानपुरा बलरिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
- वर्तमान में अप्रार्थी रामेश्वर गुर्जर के नाम वर्तमान में कुल 0.1088 है० कृषि भूमि है जबकि खसरा नम्बर 3997 कुल रकबा 0.26 है0 में से प्रार्थी सुशीलकुमार पुत्र हरिशंकर के हिस्से में 0.195 है० कृषि भूमि दर्ज है।
- प्रार्थी संख्या 01 अप्रार्थी [illegible] फैराबदली करना चाहते है, परन्तु दोनों [illegible] नहीं होने के कारण फैराबदली किया जाना संभव नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6. बहस बकुलाय सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.04.2025 के खाता संख्या 642 के खसरा नंबर 4018/4900 रकबा 1.00 है0 का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 से कृषि भूमि का विनिमय करना चाहता है, परन्तु दोनों की कृषि भूमि समान नहीं होने के कारण फैराबदली किया जाना संभव नहीं है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अनुसार एक ही वर्ग के अभिघारी उस भूमि का, जिसे वे एक ही भू–धारक से धारण करते है, ऐसे भू–धारक की लिखित सम्पत्ति से या यदि वे भूमि को विभिन्न भू–धारकों से धारण करते है तो ऐसे सभी भू–धारकों की लिखित सम्पत्ति से, विनिमय कर सकेंगे। कोई भू–धारक किसी अभिधारी को उसकी सहमति से, उस भूमि से, जो कि पट्टे पर दी गयी है भिन्न भूमि, उस भूमि के विनिमय में दे सकेगा जो कि उस अभिधारी की जोत में सम्मिलित है।** परन्तु प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की सहमति नहीं है, साथ ही उनकी कृषि भूमि भी समान नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

<u>–:आदेश:–</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:05 IST
Reason: SelfAttested